

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 55/2025

वीरेन्द्र सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)

-वादी

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जोरा सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हरप्रीत कौर पुत्री भूपेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी बुगलांवाली तहसील संगरिया
जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- 1-4-2025

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री हरबन्श सिंह झोरड़ अभिभाषक वादी व श्री कैलाश सिवंल अभिभाषक प्रतिवादीगण मिन जामिन मुदई की उपस्थिति में वाद वादी स्वीकारात्मक जवाबदावा के आधार पर डिक्री किया जाकर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को आदेशित किया जाता है कि तहसील संगरिया में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से चक नं. 21 एम.जे.डी. पटवार हल्का बुगलांवाली जं.सं. 2072-75 जं.सं. 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी के खाता सं. 42/31 में 1/4 हिस्सा यानि 1.3085 है. नहरी मय गैर मुमकिन कृषि भूमि का वादी वीरेन्द्र सिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर प्रतिवादी सं. 1 भूपेन्द्र सिंह का नाम उक्त खाता से कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रहन होने की स्थिति में बैंक रहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

निज...~~निल~~...मुब्लिक...~~निल~~...बाबत...~~निल~~...खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ...~~निल~~...को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 1.4.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया